

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 661/2024

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.773/2024

Suraj S/o Shri Sompal, Aged About 23 Years, R/o Sedpura
Khurd, P.s. Titawi District Mujjaffarnagar (Uttar Pradesh)
(Appellant Is Confined In Central Jail Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Samarth Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

09/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **सूरज** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय-विशिष्ट न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 केसेज, कोटा द्वारा विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या-**27/2019 राजस्थान राज्य** बनाम **विक्रम कुमार व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **05.04.2024** के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/अभियुक्त दौराने विचारण कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर भी आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह दिनांक 02.04.2024 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक की हो चुकी है। दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में कुल पांच किलो डोडा-चूरा बरामद होना बताया गया है, प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा एन0डी0पी0एस0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अत्यधिक सजा से दंडित किया गया है तथा अपील में लिए गए आधारों पर अपीलार्थी, अपील में दोषमुक्त होने योग्य है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **09.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सूरज पुत्र श्री सोमपाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J